तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	
14/01/15	वकील वादी उपस्थित शहादत वादी पेश करने का समय चाहा। पत्रावली पेश हुई। समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कार्यवाही दिनांक 03-02-15 को पेश हों। SDO.	
03-02-15	पत्रावली पेश हुई [redacted] द्वारा ... पत्रावली वास्ते कार्यवाही दिनांक 26-03-15 को पेश हों।	
26-03-15	वकील वादी उपस्थित। शहादत वादी पेश करने का समय चाहते हैं, शहादत वादी पेश करने का समय ... अन्तिम समय दिया जाता है। शहादत बन्द की जावेगी। समाप्त किया जाकर शहादत बन्द ... पत्रावली वास्ते दिनांक 07-04-2015 पेश हो। SDO.	
7/4/15	राज्य सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय मोरडाई अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 8/6/15 को पेश हो। SDO.	
8/6/15	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र मोरडाई पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील वादी को शहादत वादी पेश करने का दिनांक 29/12/2010 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक शहादत पेश नहीं करने से शहादत वादी बन्द की गयी है। अतः शहादत वादी पेश करने में विफल रहने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री फर्द मुताबिक निस्तारित जाकर दा० मि० किया जावे। पत्रा० कोर्ट शुमार होकर नकल से ... हो। SDO.	

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :–

1. तेजाराम पुत्र चन्द्राराम
   जाति –चौकीदार,
   निवासीगण–समौखी,
   तहसील–जैतारण जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हरीसिंह पुत्र बहादूरसिंह
   जाति राजपूत ,
   निवासी–रास हाल फूलमाल
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली।
2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन
   अधिकारी जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 136/2009

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री महेन्द्र गुर्रा, व श्री राजुनाथ चोलावत अधिवक्तागण, वादी मिनजानिब मुद्धई व, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि डिकी इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा समौखी पटवार हल्का मोहराई, तहसील जैतारण (जिला–पाली) में वकील मय वादी को शहादत पेश करने का दिनांक 29.12.2010 से अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजुद आदिनांक तक शहादत वादी पेश नही करने से शहादत वादी बंद की जाती हैं, शहादत / साक्ष्य पेश करने में विफल रहने अर्थात शहादत / साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों, बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर लेख्य / भण्डार जमा हों।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	–		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–		मुत्फरिक		
मिजानः–	07	00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner